Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका संख्या 1041/1998

याचिकाकर्ता:

(1) मैसर्स रेमंड लिमिटेड सीमेंट
डिवीजन, महिंद्रा टावर्स,
'बी' विंग, पांडुरंग बुधाकर
मार्ग, वरली, मुंबई।

द्वारा – श्री सिद्दीकी राहतजान
पिता सिद्दीकी रहमान,
उम्र लगभग 44 वर्ष,
उप प्रबंधक (लेखा),
रेमंड लिमिटेड,
सीमेंट डिवीजन,
गोपाल नगर, तहसील जांजगीर,
जिला बिलासपुर म.प्र.

(2) दीपांकर सेन,
पिता श्री एस. सेन,
उम्र लगभग 42 वर्ष,
अंशधारक– मैसर्स रेमंड लिमिटेड,
निवासी मकान क्र. 522,
विनोबा नगर, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर म.प्र.

– बनाम –

उत्तरवादी :

1. अपर आयुक्त वाणिज्य कर,
विक्रय कर कार्यालय,
रायपुर म.प्र.

2. सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर,
विक्रय कर भवन,
बिलासपुर म.प्र.

3. मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा सचिव,
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल म.प्र.।

4. राज्य स्तरीय समिति,
हेतु पात्रता प्रमाण पत्र,
द्वारा आयुक्त विक्रय कर–सह–पदेन अध्यक्ष
समिति, अधिकारी वाणिज्यिक कर आयुक्त,
जिला इंदौर, म.प्र.

5. महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केंद्र,
बिलासपुर,
जिला बिलासपुर म.प्र.

भारत के संविधान की अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

रिट याचिका का विवरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(युगल पीठ)

समक्ष: **माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.क. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश**

एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 1965/1991

मेसर्स रेमंड सीमेंट वर्क्स.

बनाम

सहायक आयुक्त, विक्रय कर, बिलासपुर एवं अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका संख्या 4294/1992

मेसर्स रेमंड सीमेंट वर्क्स.

बनाम

सहायक आयुक्त, विक्रय कर, बिलासपुर एवं अन्य,

रिट याचिका संख्या 1750/1991

मेसर्स रेमंड सीमेंट वर्क्स.

बनाम

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, बिलासपुर एवं अन्य।

रिट याचिका संख्या 1041/1998

मेसर्स रेमंड लिमिटेड सीमेंट डिवीजन, मुंबई और अन्य

बनाम

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर एवं अन्य।

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. शर्मा उपस्थित हुए।

उत्तरवादीगण की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता साथ में अधिकारीगण श्री एल.आर. राजपूत, उप आयुक्त और श्री जी.आर. बांगरे, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(28 जून, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश मुख्य न्यायाधीश ए.के. पटनायक द्वारा पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ता, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसने गोपालनगर, बिलासपुर में सीमेंट के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित किया और मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत थी। मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर, 1958 की धारा 22–डी के साथ धारा 51 और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश कर भुगतान आस्थगन नियम, 1986 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) बनाए। नियमों के नियम 3 (1) (सी) में प्रावधान है कि मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 की धारा 22–डी में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले नियमों के नियम 11 में निर्दिष्ट इकाई के अलावा एक औद्योगिक

इकाई और किसी भी माल के विनिर्माण और विक्रय में लगी हुई है। नियमों के उपनियम 3 (2) (सी) में प्रावधान है कि पर्याप्त विस्तार करने वाली ऐसी औद्योगिक इकाई केवल उन वस्तुओं की विक्रय के संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी, जिनका उत्पादन उसके मूल लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत क्षमता के 90% से अधिक है। नियमों के नियम 4 (सी) में प्रावधान है कि पर्याप्त विस्तार करने वाली कोई औद्योगिक इकाई की श्रेणी के आधार पर अधिसूचना दिनांक 16–10–1986 की अनुसूची के मद 2 (ii) में औद्योगिक इकाइयों की श्रेणियों के संबंध में कॉलम (3) में निर्दिष्ट अवधि के लिए उसके द्वारा देय कर के भुगतान के आस्थगन के लिए पात्र होगी, जो उस श्रेणी पर निर्भर करेगी, जिसमें औद्योगिक इकाई आती है। संबंधित है और उस जिले की श्रेणी जिसमें वह स्थित है। उक्त नियमों के नियम 5 में कर के भुगतान को स्थगित करने की अवधि 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई थी, जो उस वर्ष से शुरू होती है, जिसका भुगतान स्थगित किया जा रहा है। नियमों के नियम 7 में पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन का प्रावधान किया गया था। नियमों के नियम 8 में नियमों के तहत कर के भुगतान को स्थगित करने की सुविधा का लाभ उठाने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा जबाब दाखिल करने का प्रावधान किया गया था। नियमों के नियम 9 में औद्योगिक इकाइयों के कर के आकलन का प्रावधान किया गया था। नियमों के नियम 12 में प्रावधान किया गया था कि नियम यथावश्यक परिवर्तनों के साथ केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत लगाए गए और एकत्र किए गए कर पर लागू होंगे, जो इसमें उल्लिखित संशोधनों के अधीन होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि अपनी औद्योगिक इकाई का पर्याप्त विस्तार किया और इस प्रकार मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत विक्रय कर के भुगतान को 10 साल की अवधि के लिए स्थगित करने का हकदार था, जैसा कि ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 5 में

प्रावधान है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 7 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 10.02.1987 को आवेदन किया, लेकिन 15.04.1991 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि वह इस आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र का हकदार नहीं था कि उसने 1 अगस्त 1986 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था और नियमों के तहत केवल वे औद्योगिक इकाइयां जो पर्याप्त विस्तार कर रही थीं और 1 अगस्त 1986 को या उससे पहले विस्तारित क्षमता के तहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, विक्रय कर के भुगतान को स्थगित करने की हकदार थीं। इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 1750/1991 दायर कर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विभाग के अवर सचिव द्वारा पारित दिनांक 15.04.1991 के आदेश को चुनौती दी और यह घोषित करने की प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता विस्तारित क्षमता के संबंध में विक्रय कर के भुगतान के आस्थगन के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने का हकदार था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. चूंकि याचिकाकर्ता को नियमों के तहत विक्रय कर के भुगतान को स्थगित करने से मना कर दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 के साथ–साथ केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत विक्रय कर के भुगतान के लिए मांग के नोटिस दिए गए थे। इसलिए, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न अवधि के लिए विक्रय कर अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन और मांगों को रद्द करने के लिए रिट याचिकाएं संख्या 1965/1991, 4294/1992 और 1041/1998 दायर की हैं।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने दलील दी कि रिट याचिका डब्ल्यू.पी. संख्या 1750/1991 के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य और विशेष रूप से रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक पी–7, पी–8 और पी–9 से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त, 1986 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और प्रबंध निदेशक, एम.पी.ए.के.वी.एन. ने वास्तव में विक्रय कर के भुगतान के आस्थगन के नियमों के

तहत पात्रता प्रमाण पत्र के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश की है, जो अनुलग्नक आर–वी से स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 15.04.1991 के आपेक्षित आदेश को पारित करने से पहले औद्योगिक विभाग को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था और याचिकाकर्ता को यह दिखाने के लिए सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए थी कि उसने 1 अगस्त, 1986 के बाद विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा 10.06.1985 को जारी परिपत्र के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन परीक्षण उत्पादन शुरू होने की तारीख से छह महीने के बाद ही किया जाना है, लेकिन 15–04–1991 के आदेश में परीक्षण उत्पादन के महीने को वाणिज्यिक उत्पादन के महीने के रूप में लिया गया प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति ने उत्तरवादीगण द्वारा दायर जवाब में दिए गए कथनों पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई द्वारा दिए गए कच्चे माल और बिजली के आंकड़ों तथा उत्पादन के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जनवरी 1986 से याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई में उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति थी और इसलिए उत्तरवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के महीने के रूप में जनवरी, 1986 को लेना उचित था।

6. हमें पक्षों के बीच के उपरोक्त विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में अपनी विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन कब शुरू किया, क्योंकि ऊपर उद्धृत नियमों के नियम 5 के तहत कर के भुगतान के आस्थगन की अवधि उस वर्ष से शुरू होकर 10 वर्ष की अवधि के लिए होनी थी, जिससे वह कर, जिसका भुगतान आस्थगित किया जा रहा है, संबंधित है और सातवें वर्ष के लिए भी 10 वर्ष की वह अवधि, जिसके लिए याचिकाकर्ता आस्थगन के लिए पात्र होने का दावा करता है, पहले ही समाप्त हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त, 1986 के बाद अपनी विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है,

याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1958 के तहत और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत लेखा वर्ष 1986–1987, 1987–1988, 1988–1989, 1989–1990, 1990–1991, 1991–1992 और 1992–1993 के लिए क्रमशः 10 वर्ष तक यानी 1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 तक विक्रय कर के आस्थगन के लिए हकदार होता। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता का मामला स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो भी याचिकाकर्ता को पूरा कर चुकाना होगा, जिसे नियमों के तहत 2003–2004 तक स्थगित कर दिया गया है। यह बात कर भुगतान में स्थगन की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट होगी। नियमों के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र–सी में कर का भुगतान करें, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:

> *"डीलर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए देय कर का भुगतान दस वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। डीलर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए देय कर का भुगतान उसके द्वारा नीचे बताए अनुसार किया जाएगा।:*

संख्या. क्रमांक.	लेखांकन वर्ष	जमा का वर्ष
(1)	(2)	(3)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अलावा, नियमों के नियम 9 में यह प्रावधान किया गया है कि नियमों और अधिनियम के अनुसार कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा प्राप्त करने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी इकाई को मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर नियम 1959 के नियम 27 के तहत कर निर्धारण आदेश और मांग की सूचना देगा और उक्त सूचना में वह तारीख दर्शाएगा, जिस तक कर का भुगतान किया जाना है। नियमों के उक्त नियम 9 को नीचे उद्धृत किया गया है:

*"**9. कर का निर्धारण।** नियम 3 के किसी उप–नियम (1) में निर्दिष्ट औद्योगिक इकाई जो कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाती है, प्रत्येक वर्ष के लिए जिसके लिए उक्त सुविधा का लाभ उठाया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर का निर्धारण किया जाएगा। मूल्यांकन प्राधिकारी इसके बाद उक्त इकाई को नियमों के नियम 27 के तहत मूल्यांकन आदेश और मांग की सूचना देगा और उक्त सूचना में वह तारीख इंगित करेगा जिसके द्वारा कर का भुगतान किया जाना है।"*

इस प्रकार, भले ही याचिकाकर्ता को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो, चूंकि वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से शुरू होने वाले 7 वर्षों के लिए 10 साल की आस्थगन की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तथा रिट याचिकाओं के इस समूह में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को आक्षेपित मांगों का एक हिस्सा जमा करने तथा आक्षेपित मांगों के एक हिस्से के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने को निर्देश दिया गया था तथा शेष राशि की वसूली पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता को, मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ–साथ केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ पठित नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार आक्षेपित मांगों का शेष भुगतान करना होगा।

8. शास्ति के संबंध में, हमारे संज्ञान में लाया गया है कि मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 की धारा 22 (4–बी) के अंतर्गत जहां कोई व्यापारी उस पर निर्धारित कर का भुगतान नहीं करता है और व्यापारी ने उपधारा (4–ए) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए समय प्रदान करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं किया है, आयुक्त व्यापारी को

सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे व्यापारी को, भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिए, प्रत्येक माह देय कर की राशि के 2% के बराबर राशि, शास्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता का मामला यह था कि वह मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 और केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत विक्रय कर के आस्थगन के लिए पात्रता प्रमाण पत्र का हकदार था और याचिकाकर्ता को इस आधार पर ऐसा लाभ देने से इनकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त, 1986 से पहले अपनी विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि प्रबंध निदेशक, एम.पी.ए.के.वीएन द्वारा इस तरह के पात्रता प्रमाण पत्र की सिफारिश करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 15–04–1991 के आक्षेपित आदेश द्वारा इसे देने से इनकार कर दिया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 1 अगस्त, 1986 के बाद अपनी विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था इसके अलावा, हम 15–04–1991 के आदेश को रद्द कर देते और मामले को उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज देते ताकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जा सके और नए आदेश पारित किए जा सकें, लेकिन हमारा मानना है कि आदेश को रद्द करने और मामले को वापस भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि भले ही विक्रय कर को स्थगित करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे की अनुमति दी गई थी, याचिकाकर्ता अब कर वापस चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, कर को स्थगित करने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस घटना में, हमने आदेश को रद्द कर दिया होगा, जुर्माना और ब्याज के साथ कर की पूरी वसूली भी इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई होगी। इसलिए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता से कोई जुर्माना या ब्याज नहीं वसूला जाएगा और केवल देय कर ही याचिकाकर्ता से वसूला जाएगा जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. तदनुसार, इन रिट याचिकाओं का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री आज से एक माह के भीतर विक्रय कर अधिकारी, बिलासपुर को याचिकाकर्ता द्वारा पहले से जमा की गई राशि ब्याज सहित अदा करेगी। इस न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त राशि के समायोजन के बाद याचिकाकर्ता द्वारा देय कर की शेष राशि, विक्रय कर अधिकारी द्वारा निकाली जाएगी और शेष कर की मांग के नोटिस याचिकाकर्ता को नियमों के नियम 9 के अनुसार, मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर नियम 1959 के नियम 27 के साथ पठित, नियमों के नियम 9 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, तामील किए जाएंगे और याचिकाकर्ता से वसूल किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा संशोधित, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी इस न्यायालय द्वारा तभी जारी की जाएगी जब याचिकाकर्ता विक्रय कर अधिकारी, बिलासपुर द्वारा मांगे गए कर की पूरी राशि का भुगतान कर देगा और याचिकाकर्ता ऐसे कर के भुगतान के बाद बैंक गारंटी जारी करने के लिए आवेदन दायर करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
(**सुनील कुमार सिन्हा**)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore